

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(M) / एम0एससी0 / जेड -2087 / 2021 /

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित नर्स श्रेणी-द्वितीय का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2020-21 में एम.एस.सी0 (नर्सिंग) / प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवंटित कॉलेज
1	श्री सुनील कुमार भेधवाल, नर्स श्रेणी-द्वितीय	महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा	Govt. college of Nursing, MBS Hospital, kota.

उक्त कार्मिक को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1- नियमानुसार स्वयं का अवकाश / अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
- 2- यदि कार्मिक ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हे अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- 3- उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 4- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक को तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5- कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति / वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- 6- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- 7- नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

नोट:- कार्मिक को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 19.04.2021 तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(M) / एम0एससी0 / जेड -2087 / 2021 / 364

दिनांक:- 19/4/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. चैयरमैन नर्सिंग कौंसिल बोर्ड 2020-21 एवं रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वरूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर